कार्यालय– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), झारखण्ड, राँची– 2

पत्रांकः–　　　　　　दिनांक–

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
झारखण्ड, राँची–2

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची ।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2009–10 में कार्यान्वित की जानेवाली ''वन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण योजना'' (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिए **678.518** ***लाख रु० (छः करोड़, अठत्तर लाख, इकावन हजार, आठ सौ रु०) मात्र*** का प्रषासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए **449.879 लाख रू0** (***चार करोड़, उनचास लाख, सतासी हजार, नौ सौ रु०***)स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

सूचित करना है कि विभाग में विभिन्न स्तर पर कार्य कुशलता में वृद्धि लाने के लिए अधिकारियो के लिए कार्यालय, आवास तथा वन विश्रामागारों की मरम्मति एवं सुसज्जीकरण करने का तथा विभाग में कार्यरत सभी दैनिक मजदूरों की मजदूरी देने का इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य है ।

2. इस योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी के आवास सह कार्यालय, तृतीय वर्गीय आवास, चतुर्थ वर्गीय आवास, वनपाल आवास, वनरक्षी आवास का निर्माण एवं आंषिक निर्माण इत्यादि कार्य का प्रस्ताव है तथा एक एल0 सी0 डी0 प्रोजेक्टर तथा डिजिटल डूप्लीकेटर एवं कम्प्यूटर कम्पीटेबुल, जेरोक्स मषीन आदि का क्रय, मोटरगाड़ी, ईंधन मरम्मति, दैनिक वेतनभोगियों का वेतन का प्रस्ताव है । प्रस्तावित योजना की कार्य विवरणी अनु0–1 पर द्रष्टव्य है ।

3. इस योजना लिए बजट मुख्य शीर्ष– 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, जनजातीय उपयोजना, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष– 15– इन्टेसीफीकेशन ऑफ मैनेजमैंट" के अन्तर्गत 1021.237 लाख रू0 की राशि उपबंधित है, जिसकी इकाईवार विवरणी निम्नवत है :–

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	बजट शीर्ष	बजट उपबंध
1	मजदूरी	411.658
2	आपूर्ति एवं सामग्री	319.579
3	मशीनरी एवं उपकरण	34.000
4	व्यावसायिक सेवाएं	15.000
5	लघु निर्माण कार्य	237.000
6	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	4.000
	कुल योग :–	**1021.237**

(योजना बजट पृष्ट सं0– 144 के अनुसार)

4. इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिए प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित एवं वर्त्तमान में लागू कार्य दर के आधार पर तैयार किए गए है एवं मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा निर्धारित वर्त्तमान में लागू दर के आधार पर तैयार किया गया है ।

5. वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजनान्तर्गत सी0ओ0बी0टी0 में प्रस्तावित एवं मंत्रीमंडल द्वारा स्वीकृत कार्यों को सम्मिलित किया गया है।

6. इस योजना लिए बजट मुख्य शीर्ष– 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, जनजातीय उपयोजना, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना एवं उप शीर्ष– 15–इन्टेसीफीकेशन ऑफ मैनेजमैंट" के अन्तर्गत बजट उपबंध 1021.237 में से प्रस्तावित कार्यों के लिए **449.879 लाख रू०** की योजना समर्पित की जा रही है, जो निम्नलिखित प्राथमिक इकाईयों में विकलनीय होगी ।

क्र0 सं0	प्रार्थमिक इकाईयां	(रू० लाख में)
क)	मजदूरी	131.180
ख)	आपूर्ति एवं सामाग्री	294.191
ग)	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	20.508
घ)	मशीन एवं उपकरण	4.000
	कुल :–	**449.879**

7. इस योजना के समर्पण के उपरांत बजट उपबंध के अनुसार उपलब्ध शेष राशि प्रार्थमिक इकाईवार निम्नलिखित है :–

(रू0 लाख में)

प्रार्थमिक इकाईयां	बजट उपबंध	पूर्व में समर्पित योजना प्रार्थमिक इकाईवार	वर्त्तमान में समर्पित की जा रही योजना प्रार्थमिक इकाईवार	इस प्रकार अबतक समर्पित की गई योजना	बजट उपबंध के अनुसार उपलब्ध शेष राशि प्रार्थमिक इकाईवार
मजदूरी	411.658	196.229	131.180	327.409	84.249
आपूर्ति एवं सामग्री	319.579	137.382	294.191	431.573	-111.994
मशीनरी एवं उपकरण	34.000	0.000	20.508	20.508	13.492
व्यावसायिक सेवाएं	15.000	0.000	0.000	0.000	15.000
लघु निर्माण कार्य	237.000	109.622	0.000	109.622	127.378
मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	4.000	0.000	4.000	4.000	0.000
कुल :–	**1021.237**	**443.233**	**449.879**	**893.112**	**128.125**

8. वित्तीय वर्ष 2008–09 में कार्यान्वित की जाने वाली कार्य क्षेत्रों के प्रस्तावित योजना हेतु अनुलग्नक–1 में वर्णित पदाधिकारी अपने–अपने कार्य क्षेत्रों में प्रस्तावित कार्यों के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

9. इस योजनान्तर्गत सामग्री इकाई में पुनर्विनियोग की आवष्यकता होगी । पुनर्विनियोग का प्रस्ताव अनु0– 2 पर दृष्टव्य है ।

अतः अनुरोध है कि योजना का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा करें ।

आपका विश्वासी,

<u>**अनुलंग्नक : यथोक्त**</u> ।

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
झारखण्ड, राची–2

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/मुख्य वन संरक्षक, विकास, जनजातीय क्षेत्र, झारखण्ड/वन संरक्षक, योजना अंचल, रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
झारखण्ड, रॉची–2